



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 4 फरवरी, 2026

माघ 15, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन अनुभाग

संख्या जन०-07/तीन-26-12(12)-2018

लखनऊ, 4 फरवरी, 2026

अधिसूचना

प०आ०-22

जनगणना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 37 सन् 1948) के उपबन्धों के अधीन विरचित की गयी नियमावली की धारा 8 के खण्ड (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके एवं अधिसूचना संख्या जी०आई० 64/तीन-2019-12(12)/2018, दिनांक 19 नवम्बर, 2019 का अधिक्रमण करके, राज्यपाल आदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की जनगणना, 2027 के प्रथम चरण अर्थात् मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना करने सम्बंधी कार्य दिनांक 22 मई, 2026 से 20 जून, 2026 तक की विनिर्दिष्ट तीस दिनों की अवधि के दौरान किया जाएगा। स्व-गणना के लिए विकल्प भी उपलब्ध होगा, जो कि घर-घर जाकर 30 दिनों की मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्यों के आरम्भ होने से ठीक पहले पंद्रह दिन की समयावधि में संचालित किया जाएगा।

आज्ञा से,
एस०वी०एस० रंगा राव,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. Jan. 07/III-26-12(12)/2018, dated February 4, 2026 for general Information :

No. Jan.07/III-26-12(12)-2018

Dated Lucknow, February 4, 2026

IN exercise of the powers conferred under Clause (iii) of Rule 8 of the Rules framed under the Provisions of the Census Act, 1948 (Act no.37 of 1948) and in supersession of the notification no. G.I.-64/III-2019-12(12)/2018, dated 19th November, 2019, the Governor is pleased to order that the work pertaining to first phase of Census of India, 2027 *i.e.* Houselisting & Housing Census will take place in the State of Uttar Pradesh during the period from 22nd May to 20th June, 2026, being a specified period of thirty days. There shall also be an option for self-enumeration which shall be conducted in fifteen days time period just before the start of house to house Houselisting & Housing Census operations of thirty days.

By order,
S.V.S. RANGA RAO,
Pramukh Sachiv.